प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, डूडाहेडा,
खेकडा(बागपत)

पत्रांक–शि0स0/ 14545 /2017–18 दिनांक– 28-03-2018

विषय–कक्षा नर्सरी कक्षा आठ (अंग्रेजी माध्यम) की स्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या/003/18 दिनांक 11/1/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र आपने अपने विद्यालय को स्थायी मान्यता हेतु पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। इसी कम में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बागपत द्वारा कार्यालय के पत्रांक संख्या/शि0स0/11392–93/2014–15 दिनांक 31/3/2015 के द्वारा द्वारा आपके विद्यालय को तीन वर्षो की अवधि हेतु मान्यता हेतु पत्र निर्गत किया गया था।

तद्नुक्रम में शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के पैरा 15 में निम्नवत् व्यवस्था है कि– **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानो के दृष्टिगत् औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"**। अतः आप उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल बागपत
ग्रा0व पो0 डुण्डाहेड़ा विकास क्षेत्र खेकड़ा
जनपद बागपत।

पत्रांकःशि0स0/ 11392-93 /2014–15

दिनांकः 31-03-2015

विषयः निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके वर्ष 2014–15 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार तथा श्री वेदप्रकाश गुप्ता खण्ड शिक्षा अधिकारी खेकड़ा के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के प्रति दिये गये निर्देश से, मै **दिल्ली पब्लिक स्कूल बागपत ग्रा0व पो0 डुण्डाहेड़ा विकास क्षेत्र खेकड़ा, (बागपत)** को तारीख **31.03.2015** से **30.03.2018** तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **08 (आठ अंग्रेजी)** तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा– विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गयें अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अनिधनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार पत्रावली में अंकित हैः– अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल संख्या 11007/2014-15 दिनांक 18-3-2015

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल के द्वारा AD(B) मेरठ कार्यालय मे प्रेषित

कक्षाओं की संख्या पत्रावली में जांच अधिकारी की आख्यानुसार

प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष प्रसुविधाओं का विवरण अंकित है

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकांउटैन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **2014—15 UPS** अग्रेंजी..11.... हैं। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निर्देश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो एवं तथ्यो के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमो का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
18. प्रति छात्र—छात्राओ को बैठने हेतु 09 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाये।
19. मान्यता पत्रावली में सलग्न समस्त पत्राजात के सत्य होने का दस रूपये का नोटरी शपथ पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

भवदीय
31-03-15
(डॉ0एम0पी0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ0स0: शि0स0/ /2014—15 तद् दिनॉक।
प्रतिलिपिः—
01. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खेकड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बधित विद्यालय के भवन तथा पत्रावली में सलग्न पत्राजातो/अभिलेखो का मूल प्रति से मिलान करते हुए विद्यालय को नियमानुसार संचालन कराये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।